

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**नियुक्ति अनुभाग-2**  
**संख्या-12/2019/315 /दो-2-2019-28/2(27)/2018**  
**लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी, 2019**  
**आदेश**

श्री हवलदार यादव, पी0सी0एस0, से0नि0 द्वारा अपने भविष्य निधि खाता संख्या- जी0ए0यू0-72897 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री हवलदार यादव, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी-406/18-79039/105369, दिनांक 24-01-2019 के अनुसार वर्ष 2017-2018 तक कुल जमा धनराशि रू0-25,57,916/- (रू0-पच्चीस लाख सत्तावन हजार नौ सौ सोलह मात्र) जिसमें माह 3/18 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-23,02,124.00 (रूपये तेइस लाख दो हजार एक सौ चौबीस मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री हवलदार यादव के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**(धनन्जय शुक्ल)**  
**विशेष सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- जिलाधिकारी, फैजाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री हवलदार यादव,से0नि0, पी0सी0एस0,तत्कालीन अपर जिलाधिकारी(कानून-व्यवस्था) के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि भुगतान की जाने वाली धनराशि 90 प्रतिशत से अधिक न हो।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फैजाबाद ।
- 4- श्री हवलदार यादव, से0नि0 पी0सी0एस0,पता-निवासी-विजय नगर, हवेलिया रोड, झूँसी इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान के पश्चात अंतिम अवशेष 10 प्रतिशत भुगतान के संबंध में, कृपया 90 प्रतिशत भुगतान के आदेश की प्रति, 90 प्रतिशत भुगतान का बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**आज्ञा से,**

**(प्रवीण कुमार सिंह)**  
**अनु सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।